फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री महेन्द्र कुमार | **विपक्षी :– श्रीमती कंचनलता**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 133/24**

जीसीएमएस : 2024/509

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम पारस पुत्री गणेशलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 50/– रूपये स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत घासा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2025 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार पिता गणेशलाल अंकित है। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर पारस पुत्री गणेशलाल एवं महेन्द्र कुमार पिता गणेशलाल दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया। विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तह. घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 437 पर दर्ज आराजी नम्बर 3458, 3459, 3491 किता 3 कुल रकबा 0.4452 हेक्टेयर भूमि में खातेदार पारस पुत्री गणेशलाल के बजाय पारस उर्फ महेन्द्र कुमार पिता गणेशलाल संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:37 IST
Reason: SelfAttested